

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी,

जिला हनुमानगढ़

पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि०न० - 55 / 2026

अनवान : -

1. औमप्रकाश पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी ।
2. अनुज कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी ।
3. कौशल्या देवी पत्नी औमप्रकाश जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी ।
4. गोपीराम पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी ।
5. मुकुल पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी ।
6. आशीष कुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी ।

वादीगण

बनाम

1. रामेश्वरी देवी पत्नी रामकिशन जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी ।
2. इन्द्रा देवी पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी ।
3. कमला देवी पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त. टिब्बी ।
4. सुन्दरदेवी पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त. टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ उपखण्ड अधिकारी सत्यनारायण के समक्ष प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता श्री एमके गौड़ वादीगण एवं श्री सुनील शर्मा प्रतिवादीगण की उपस्थित में डिक्री किया जाकर चक 1 सीडीआर खाता सं० 102/89, चक 1 सीडीआर खाता सं० 10/10, इसी चक के खाता सं० 103/90 जमाबंदी चक 6 केएचआर खाता सं० 12/11 व खाता सं० 13/12 व खाता सं. 114/115, जमाबंदी चक 1 सीडीआर खाता सं० 14/12 चक 3 सीडीआर खाता सं० 105/98 में वादीगण को निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है -

क.वादीगण सं० 1 ता 3, औमप्रकाश, अनुज कुमार व कौशल्या देवी को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी:- चकनं० 1 सीडीआर के खाता सं० 102 / 89 में अंकित 2.277 है० आराजी, चकनं० 1 सीडीआर के खाता सं० 10/10 में अंकित कुल 0.253 है०, चकनं० 1 सीडीआर के खाता सं० 103 / 90 में अंकित 0.253 है० आराजी तथा चक नं० 6 केएचआर के खाता सं० 12 / 11 में अंकित 0.886 है०, चक नं० 6 केएचआर के खाता सं० 13/12 में अंकित कुल 0.506 है०, चकनं० 6 केएचआर के खाता सं० 114/115 में अंकित कुल 2.277 है० आराजी ख. वादी सं० 4 गोपीराम को प्राप्त आराजी :- चक नं० 1 सीडीआर के खाता सं० 14 / 12 में अंकित कुल 1.1390 है० ग. वादीगण सं० 5 मुकुल व वादी सं० 6 आशीष कुमार को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी:- चक नं० 3 सीडीआर के खाता सं० 105 / 98 में अंकित कुल 5.060 है० आराजी व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चक नं० 1 सीडीआर के खाता सं० 102/89, खाता सं० 103/90, चकनं० 6 केएचआर के खाता सं० 114/115 में से प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 व गोपीराम का नाम कलमजन, चक नं० 1 सीडीआर के खाता सं० 10/10 में से गोपीराम का नाम कलमजन, चकनं० 6 केएचआर के खाता सं० 12 / 11, खाता सं० 13/12 में से गोपीराम का नाम कलमजन, चकनं० 1 सीडीआर के खाता सं० 14 / 12 में से औमप्रकाश का नाम

कलमजन, चकनं० 3 सीडीआर के खाता सं० 105/98 मे से प्रतिवादी सं० 1 ता 4 व औमप्रकाश का नाम कलमजन किया जाकर कृषि भूमि पर यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश, रहन आदि न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 23/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई है।



(सत्यनास्थयण)

उपखण्ड अधिकारी
R.A.S
डिस्ट्रिक्ट अधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़